



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-7****लखनऊ: दिनांक 05.10.2026**

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों के कतिपय जनपदों के 12 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्रों(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 12 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **रु० 1742.10 लाख (रूपये सत्रह करोड़ बयालीस लाख दस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**(धनराशि रु० लाख में)**

| क्रम सं० | मुख्य अभियन्ता(मु०-1) का पत्रांक                   | खण्ड/जनपद का नाम | मार्ग का नाम                                                                                   | शासनादेश संख्या                                               | प्रावैधिक/स्वीकृत/बचत/बचत के उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अनुरक्षण की लागत | अद्यतन अवशेष | प्रस्तावित आवंटन |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 1        | 2                                                  | 3                | 4                                                                                              | 5                                                             | 6                                                  | 7           | 8                | 9            | 10               |
| 1        | 24812/CE - HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-22-09-2026 | नि.ख.-1 रायबरेली | सिरसिरा इच्छनगौड़ा सम्पर्क मार्ग से श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 50/2025/आई/1134746/001-23-6099(099)/282/2025                  | 74.96<br>72.97<br>12.24<br>60.73                   | 15.98       | 5.07             | 39.68        | 10.00            |
| 2        | 24813/CE - HQ1/DHARMARTH/MRT/2026-27 Dt-22-09-2026 | प्रा.ख. मेरठ     | लतीपुर से किशनपुर गुरुद्वारा मार्ग।                                                            | 58/2025/आई/1146705/2025/001-23-6099(099)/192/25, दि०-18.11.25 | 193.91<br>193.91<br>1.41<br>192.50                 | 63.28       | 4.63             | 124.59       | 60.00            |
| 3        | 24842/CE - HQ1/DHARMARTH/KNP/2026-27 Dt-           | नि.ख. फर्रुखाबाद | सिकन्दरपुर नहरोसा से शिव मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।                        | 65/2025/आई/1152996/2025/001-23-6099(099)/284/25               | 179.07<br>175.83<br>34.64<br>141.19                | 25.36       | 12.43            | 103.40       | 30.00            |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|    |                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                         |        |       |         |        |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|--------|
|    | 23-09-2026                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                         |        |       |         |        |
| 4  | 24852/CE - HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-24-09-2026 | नि.ख. सीतापुर   | रामगढ़ चीनी मिल से पहला आश्रमत होते हुए ककरघटा तक 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।                                                                                                           | 12/2026/आई/1227125/2026/001-23-7002(099)/3/2025   | 2438.71<br>2438.71<br>3.46<br>2435.25   | 555.61 | 49.18 | 1830.46 | 250.00 |
| 5  | 24853/CE - HQ1/DHARMARTH/MIR/2026-27 Dt-24-09-2026 | प्रा.ख. भदोही   | सीतामढ़ी से कलिंजरा होते हुए सेमराध मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।                                                                                                                                           | 30/2026/आई/1266155/2026/001-23-7099-099/18/2026   | 2166.45<br>2166.45<br>44.55<br>2121.19  | 212.19 | 59.00 | 1850.71 | 300.00 |
| 6  | 24903/CE - HQ1/DHARMARTH/GKP/2026-27 Dt-25-09-2026 | प्रा.ख. देवरिया | एन0एन0जी0डी0बी0 मार्ग के किमी0 सिरजम मन्दिर में असनहर साण्डा उसरी इन्द्रपुर पत्रहा जोगम मार्ग (अ0जि0मा0) (अति प्राचीन ठाकुर जी मन्दिर) को जोड़ने वाला मार्ग के चैनेज 6.000 से 7.500 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। | 53/2025/आई/1141303/2025/001-23-6099(099)/286/2025 | 272.55<br>267.92<br>45.77<br>222.15     | 93.67  | 6.15  | 122.33  | 104.30 |
| 7  | 24904/CE - HQ1/DHARMARTH/MBD/2026-27 Dt-25-09-2026 | प्रा.ख. सम्भल   | मुरादाबाद गवां अनुपषहर मार्ग (राज्य मार्ग 148) से हरिबाबा धाम मंदिर पहुँच मार्ग एवं परिक्रमा मार्ग।                                                                                                                     | 24/2026/आई/1262409/2026/001-23-7002-099/5/2026    | 1935.41<br>1935.41<br>171.36<br>1764.05 | 201.00 | 42.69 | 1520.36 | 200.00 |
| 8  | 24936/CE - HQ1/DHARMARTH/JHA/2026-27 Dt-26-09-2026 | नि.ख.-3 झाँसी   | खडैनी बामौर गढवई ककरवई मार्ग के किमी 23.00 में स्थित चकाडौरी धाम मंदिर तक मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।                                                                                                   | 83/2025/आई/1187736/2025/001-23-7099-099/65/2025   | 459.79<br>459.79<br>9.72<br>450.07      | 229.89 | 9.24  | 210.94  | 175.17 |
| 9  | -तदैव-                                             | प्रा.ख. झाँसी   | प्रान्तीय खण्ड, झाँसी जनपद झाँसी में बडवार टोडीफतेहपुर मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी0 1 से 6.200 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।                                                                                            | 57/2025/आई/1146975/2025/001-23-6099-099/293/2025  | 799.81<br>799.81<br>110.81<br>689.00    | 339.94 | 18.96 | 330.10  | 250.00 |
| 10 | 24937/CE - HQ1/DHARMARTH/BAN/2026-27 Dt-           | नि.ख.-1 बांदा   | जनपद बांदा में किला कालिंजर मार्ग (नील कंठेश्वर मंदिर) के किमी0 01 एवं 02 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं रोड सेफ्टी का कार्य।                                                                                           | 67/2025/आई/1152416/2025/001-23-6099(099)/298/25   | 744.47<br>744.47<br>3.02<br>741.45      | 273.34 | 13.48 | 454.63  | 250.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|                |                                                                              |                     |                                                                             |                                                                   |                                         |         |       |        |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|----------------|
|                | 26-09-2026                                                                   |                     |                                                                             |                                                                   |                                         |         |       |        |                |
| 11             | 24812/CE<br>-<br>HQ1/DHA<br>RMARTH/<br>LKO/2026<br>-27 Dt-<br>22-09-<br>2026 | नि.ख.-1<br>रायबरेली | ऊंचाहार खरौली माग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।                      | 167/2025/92<br>8/001-23-<br>6099(099)/10<br>9/2025                | 1918.55<br>1918.55<br>281.09<br>1637.46 | 1451.00 | 30.81 | 155.65 | 100.00         |
| 12             | 24844/CE<br>-<br>HQ1/DHA<br>RMARTH/<br>ALI/2026-<br>27 Dt- 23-<br>09-2026    | प्रा.ख.<br>हाथरस    | बिसाना से तारागढ़ माता मन्दिर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। | 92/2025/679/<br>001-23-6099-<br>099-59-<br>2025,दि-<br>07.03.2025 | 238.81<br>238.81<br>40.42<br>198.39     | 180.37  | 5.39  | 12.63  | 12.63          |
| <b>कुल योग</b> |                                                                              |                     |                                                                             |                                                                   |                                         |         |       |        | <b>1742.10</b> |

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
  - (2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
  - (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (5) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।
  - (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
  - (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आवंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,42,10,000 ( रुपये सत्रह करोड़ बयालीस लाख दस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
अभिषेक गंगवार  
अनु सचिव।

### **संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12. राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
13. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
अभिषेक गंगवार  
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।